



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0 / उप0कुस0का0 / छात्रवृत्ति / 2023 / 2255 दिनांक: 19 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक


विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित नवीन समय सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या 16-3099/70/2023-3- I/404479/2023 दिनांक 10.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के दो पत्र दिनांक 27.09.2023 की छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरणों में पत्र में की गयी अपेक्षा के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।


(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

I/404479/2023

प्रेषक,

चिरौंजी लाल ,

उप सचिव,

उ 0 प्र 0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ 0 प्र 0 कानपुर।
2. कुलसचिव, ए 0 के 0 टी 0 यू 0, लखनऊ।
3. कुलसचिव, एच 0 बी 0 टी 0 यू 0, कानपुर।
4. कुलसचिव, एम 0 एम 0 एम 0 यू 0 टी 0, गोरखपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3लखनऊ: दिनांक: 10/10/2023

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित नवीन समय सारिणी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ 0 प्र 0 शासन के दो पत्र दिनांक-27.09.2023 की छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरणों में पत्र में की गयी अपेक्षा के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

17090
12/10/23

DR(R)

Q

Reg
11/10/23

ARCSG
ए-परीक्षा जारी कराए

br
12/10/23

भवदीय,

Signed by चिरौंजी लाल

Date: 10-10-2023 15:14:14

(चिरौंजी लाल)

Reason: Approved

उप सचिव।

Sh. Manoj
12/10/23.

संख्या-1867/52-3-2023-3099/109/2023

प्रेषक,

गुलाब सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वकफ अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3141/अ0सं0क0नि0-1070/दशमो0छा0/नि0संशो0/2023-24,

दिनांक-21 सितम्बर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी जारी करने के लिये शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों/मदरसों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु वर्ष 2023-24 के लिए नवीन विस्तृत समय-सारिणी निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत की जाती है :-

क्रमांक	प्रक्रिया कार्यवाही	संभावित समयावधि कक्षा 11-12 अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही INO/Hol द्वारा शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएं)। मास्टर डाटा में सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों का मिलान हुए), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम AISHE CODE आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके INO/Hol द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करके अपलोड करना।	03 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 तक

आज धरु
1855/USTE/23
J.S.

04/10/23

(अन्नावि दिनेशकुमार)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

VSCD)

30-9-2023
(एम. देवराज)
प्रमुख सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

50-3

4/10/23

4/10/23

2	<p>मास्टर डाटा में INO/HoI द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं का सत्यापन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कक्षा 11-12 हेतु - जिला विद्यालय निरीक्षक • कक्षा 11-12 के अतिरिक्त अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु। • आई0टी0आई0 एवं पालीटेक्निक हेतु सम्बन्धित शिक्षा विभाग का मण्डलीय अधिकारी • अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा नामित अधिकारी। 	05-30 अक्टूबर, 2023 तक
3	मास्टर डाटा में उपलब्ध सूचनाओं को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन लॉक किया जाना तथा उस वर्ष भौतिक सत्यापन हेतु शिक्षण संस्थाओं का चिन्हीकरण किया जाना।	01-10 नवम्बर, 2023 तक
4	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना	10 नवम्बर, 2023 से 10 दिसम्बर, 2023 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल) इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिण्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में।
6	आन लाइन आवेदन की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा बांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के लिए 04 दिन के अन्दर
7	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का INO/HoI द्वारा मिलान किया जाना एवं प्राप्त आनलाइन आवेदनों की जाँच करके अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन INO/HoI के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	01-15 दिसम्बर, 2023 तक
8	जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर चिन्हित संस्थाओं एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	01 नवम्बर-15 दिसम्बर, 2023 तक
9	DNO (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) द्वारा संस्था एवं अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्रों की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना तथा अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों एवं संस्थाओं को ब्लाक करना।	15 दिसम्बर, 2023-15 जनवरी, 2024 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	01-25 जनवरी, 2024 तक
11	DNO (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष शुद्ध डाटा प्रस्तुत करके समिति का निर्णय प्राप्त किया जाना तथा जनपदीय स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त	25 जनवरी-20 फरवरी, 2024 तक

	DNO के डिजिटल हस्ताक्षर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना।	
12	उपरोक्तानुसार लाक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं का डाटा SNO द्वारा अग्रसारित करके एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित करना।	10-20 फरवरी, 2024 तक
13	SNO के डिजिटल हस्ताक्षर से सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को बैंक/कोषागार के ई-पेमेंट (E-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार पर लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	20-28 फरवरी, 2024 तक
14	संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित संस्था छात्र/छात्राओं का लॉगिन पर NIC द्वारा प्रदर्शित किया जाना	20 दिसम्बर, 2023-20 जनवरी, 2024 तक
15	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके संशोधित आवेदन किया जाना तथा हार्डकापी समस्त बांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	01-31 जनवरी, 2024 तक
16	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का शिक्षण संस्था के INO/HoI द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित तथा सत्यापित अभिलेखों की हार्डकापी को DNO (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को उपलब्ध कराना।	01-15 फरवरी, 2024 तक
17	छात्र द्वारा सही किये गये संदेहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुन परीक्षण किया जाना। संशोधित आवेदन पत्रों के अभिलेख प्राप्त करके DNO (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	15 फरवरी-10 मार्च, 2024 तक
18	संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष DNO द्वारा प्रस्तुत करना तथा समिति द्वारा निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तदनुसार अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10-20 मार्च, 2024 तक
19	उपरोक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर SNO द्वारा एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	20-24 मार्च, 2024 तक
20	SNO द्वारा कोषागार के ई-पेमेंट (E-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25-29 मार्च, 2024 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव।

2555023/2023/ -3

संख्या-1867(1)/52-3-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

/

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1866/52-3-2023-3099/819/2020

प्रेषक,

गुलाब सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3141/अ०सं०क०नि०-1070/दशमो०छा०/नि०संशो०/2023-24, दिनांक-21 सितम्बर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी जारी करने के लिये शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित विद्यालयों/मदरसों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु वर्ष 2023-24 के लिए नवीन विस्तृत समय-सारिणी निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत की जाती है :-

क्रमांक	प्रक्रिया कार्यवाही	संभावित निर्धारित समयावधि
1	विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना	07 अगस्त से 30 सितम्बर 2023 तक
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों की मान्यता एवं स्वीकृत सीटों की संख्या का सत्यापन किया जाना	08 अगस्त से 05 अक्टूबर 2023 तक
3	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया जाना	15 सितम्बर से 10 नवम्बर 2023 तक
4	INO द्वारा आवेदनों को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना	15 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2023 तक
5	DNO द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन किया जाना	01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक
6	पी०एफ०एम०एस० से सत्यापनोपरान्त डाटा प्राप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० द्वारा स्कूटनी किया जाना	15 दिसम्बर से 05 जनवरी 2024 तक
7	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध आवेदन अग्रसारित किया जाना	01 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक
8	SNO द्वारा एन०आई०सी० से मांग सृजित करना	01 फरवरी से 10 फरवरी 2024 तक
9	SNO द्वारा धनराशि हस्तान्तरण	15 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक
10	त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों द्वारा संशोधित किया जाना	20 दिसम्बर 2023 से 12 जनवरी 2024 तक

VSC(D)

30. (संयुक्त हेतु) प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

आख्यता
1855/VST/E/23
J.S.04/10/23
(अन्नावि दिनेश कुमार)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

So-3

04/10/23

श्रीरघुवंश
4/10/2023

11	छात्रों द्वारा संशोधित आवेदनों को INO द्वारा पुनः अग्रसारित किया जाना	25 दिसम्बर 2023 से 20 जनवरी 2024 तक
12	DNO द्वारा संशोधित आवेदनों का सत्यापन	01 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संशोधित आवेदनों को अग्रसारित किया जाना	01 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक
14	एन0आई0सी0 से मांग सजित करना	16 फरवरी से 25 फरवरी 2024 तक
15	SNO द्वारा धनराशि हस्तान्तरण	01 मार्च से 10 मार्च 2024 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(गुलाब सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-1866(1)/52-3-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासना।
2. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासना।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गुलाब सिंह)

संयुक्त सचिव।